23

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 853–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2008 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/निगरानी/2006–07

भीमसेन तनय हरिवंश प्रसाद द्विवेदी
निवासी–ग्राम हसलो तहसील मऊगंज,
जिला–रीवा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– राजेश प्रसाद तनय चिन्द्रका प्रसाद
2– दिनेश लाल पिता चन्द्रिका प्रसाद
दोनों निवासी–ग्राम हसलो तहसील मऊगंज,
जिला–रीवा (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री वीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री अवधेश सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २२जुलाई 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक भीमसेन ने अधीनस्थ न्यायालय तहसील न्यायालय सर्किट नईगढी के समक्ष संहिता की धारा 131, 132 एवं 133 के तहत आवेदन इस बावत पेश किया कि ग्राम हसलो खसरा नम्बर 48 रकवा 0.37 एकड़ के अंश भाग रकवा 0.018

हेक्टेयर पर सदामती पुस्तैनी मार्ग प्रचलित है जिसका उपयोग आवेदक एवं अन्य ग्रामीण जन अपने मवेशियों एवं वाहनों के आवागमन के लिए उपयोग कर रहे हैं। अनावेदकगण दिनांक 21–7–98 को उक्त रास्ते को जोतकर अवरूद्ध कर दिया है जिससे आवेदक एवं उसके परिवार तथा अन्य ग्रामीण जनों एवं उनके मवेशियों व वाहनों का चारागाह, जलाशय व मुख्य मार्ग तक आना जाना पूर्णरूपेण अवरूद्ध हो गया है। अतः अनावेदकगण द्वारा किये गये अवरोध को हटवाये जाने तथा अनावेदकगण को भारी प्रतिभूति एवं बन्ध पत्र राशि से बंधित किया जाये। तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 14–9–98 द्वारा अनावेदकगण द्वारा जोतकर की गई बाधा को हटा दिया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर को की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 13–9–2005 के द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कारण नहीं पाते हुये निगरानी अमान्य की। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त को किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–10–2008 को निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष पर वैधानिक आदेश पारित किया जाये। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि यदि उभय पक्ष को सुनकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने उभय पक्ष को सुनकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, इसलिए उसे कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण इस न्यायालय में वर्ष 2009 से लंबित है। अनावेदकगण ने नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 21–7–98 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष की गई थी, जो कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 13–5–2005 द्वारा अमान्य की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–10–2008 को उभय पक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक 30–10–08 को आदेश पारित करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को उभय पक्ष को सुनकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी वर्ष 2009 से लंबित है। चूंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था और अपर आयुक्त ने भी प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक ने भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने हेतु सहमति जताई है, अतः अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कारण दर्शित नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–10–08 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर